International Journal of Applied Research 2017; 3(5): 606-610

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(5): 606-610
www.allresearchjournal.com
Received: 23-03-2017
Accepted: 24-04-2017

डॉ. अर्चना मिश्रा
एम.ए., पी–एच.डी. (इतिहास) – अ.प्र. सिंह वि.वि. रीवा, मध्य प्रदेशं, मध्य प्रदेश, भारत।

Correspondence
डॉ. अर्चना मिश्रा
एम.ए., पी–एच.डी. (इतिहास) – अ.प्र. सिंह वि.वि. रीवा, मध्य प्रदेशं, मध्य प्रदेश, भारत।

भारत की परम्पराओंः साम्पतिक अधिकार एवं स्त्री धन में उलझी नारी

डॉ. अर्चना मिश्रा

सारांश
मध्यकाल में हमारा देश धन–धान्य से परिपूर्ण था। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस देश पर अपार धन से ही आकर्षित होकर अनेक बार आक्रमण किये। यहाँ की आर्थिक समृद्धि ही महमूद गजनवी को बार–बार आक्रमण करने के लिये प्रेरणा देती रही। मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी दोनों ने ही भारत के अपार सोने तथा बहुमूल्य रत्नों के भंडारों को लूटा जिसका वर्णन तत्कालीन लेखों में किया गया है। इनके अनुसार महमूद गजनवी स्वदेश लौटते समय हिंदुस्तान की अपार संपदा को ऊंटों, घोड़ों एवं खच्चरों में लाद कर ले गया था परंतु इतने विशाल पैमाने पर की गई लूटपाट के पश्चात भी देश की आर्थिक दशा सोचनीय नहीं हो सकी, क्योंकि उत्पादन के प्रमुख साधनों को नष्ट करना विदेशी आक्रमणकारियों के लिए संभव नहीं था। प्रारंभिक आक्रमणकारियों की लूट ने हमारे देश की आर्थिक दशा पर विशेष प्रभाव नहीं डाला। मध्यकालीन आर्थिक जीवन की जानकारी अबुल फजल की रचना आईन–ए–अकबरी। [1] समकालीन साहित्यिक रचनायें तथा विदेशी पर्यटकों के वर्णन से मिलती है।
अध्ययन से हम इस निष्कर्ष में आते हैं कि मध्यकाल में नारियों की आर्थिक स्थिति उन्नति थी। मध्यकाल में धातु उद्योग का भी पर्याप्त विकास हुआ था। धातुओं से विभिन्न प्रकार के औजार बनाये जाने थे। [2] उच्च वर्ग के लोगों की संपन्नता अनेक उच्च जीवन स्तर, खान–पान, पोशाक आभूषण एवं रहन–सहन से स्पष्ट झलकती है। आर्थिक दृष्टि से उच्च वर्ग की नारियों की दशा अच्छी थी। मध्यम वर्ग की नारियों की आर्थिक दशा साधारण थी। निम्न वर्ग की नारियों की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, उन्हें जीवन यापन के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उच्च वर्ग के लोग उनका शोषण करते थे।

मूल शब्दः भारत, परम्परा, साम्पतिक अधिकार, स्त्रीधन, नारी

प्रस्तावना
मध्यकाल में हिंदू नारियों ने आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भाग नहीं लिया, निम्न वर्गीय हिंदू नारियों ने आर्थिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से प्रायः भाग लेती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के कारण हिंदू निर्धन हो गये थे। हिंदू नारियाँ मुसलमानों के घर मजदूरी करने को जाती थीं। हिंदू नारियों के पास न तो अच्छे वस्त्र थे और न ही अच्छे आभूषण थे, किंतु अपवाद के रूप में कुछ नारियाँ वेश्वावृत्ति भी अपनाती थीं। वे शहर के बाहरी भागों में शहर से दूर रहती थीं। वेश्वावृत्ति एक घृणित व्यवसाय माना जाता था।[3] "Prosituition was regarded as a disgrace though some ofthe mean sort adopted and lived in separatequarters usually outside the city."[4]
मध्यकालीन राजनीति में राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी सुल्तान होता था। शासन की संपूर्ण प्रभुसत्ता उसमें निहित थी।[5] वह शक्ति का केन्द्र था। सर्वसाधारण उसे समाज का आदर्श मानता था। उसके नाम का फतवा पढ़ा जाता था तथा सिक्कों पर उसका नाम खोदा जाता था। सुल्तान निरंकुशता से शासन करने में अपना गौरव समझते थे यदि उसे राज्य का सर्वोच्च कहा जाये तो अतिश्योक्ति न होगी।[6]
नारी का मनुष्य–जाति की उत्पत्ति में ही नही वरन् समाज निर्माण में भी नारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।[7] एक बेटी, बहन, पत्नी और और माता के रूप में वह अपने कर्त्तव्यों का पालन करती हुई जीवन का उद्देश्य व्यक्त करती है, उसी से सम्पूर्ण मानव जाति के भाग्य का निर्णय होता है।[8]
अधिकांश भारतीय नारियाँ अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहती थीं। निम्न वर्ग तथा कृषक वर्ग की नारी अपने परिवार की आर्थिक दशा सुधारने के लिए पति के विभिन्न कार्यो में सहायता पहुँचाती थी। गरीब घर की नारी खेतीबाड़ी का काम किया करती थी। कुछ नारियाँ धनवानों के यहाँ दासी का कार्य करके अपनी जीविका यापन करती थी और ऐसी दासियों का ये शोषण भी करते थे। कुछ नारियाँ देव मंदिरों व देव दासियों के रूप में अपना जीवन–यापन करती थीं। बाद में व्यभिचार के लिए प्रयुक्त की जाने लगीं।[9]

नारियों ने और कई अन्य व्यवसायों में भाग लिया। कुछ नारियाँ दाई का काम करती थीं। सूरत में नारियाँ बुनाई का काम करती थीं, कुछ गरीब नारियाँ पान की दुकान भी चलाती थीं। अबुल फजल के अनुसार कुछ नारियाँ नृत्यगान का व्यवसाय करती थी। बंगाल का नृत्य विशेष रूप से उल्लेखनीय था कुछ नारियाँ मुगल काल में पढ़ाने तथा द्वारपाल जैसा कार्य भी करती थी। अकबर ने अपने शाही शराबखाने की देखरेख के लिए एक द्वारपाल की पत्नी को नियुक्त किया था। बंगाल का नृत्य विशेष रूप से प्रचलित था।

शिक्षित नारियाँ उच्च घरानों में लड़कियों एवं बच्चों को शिक्षा दिया करती थी। सूरत में नारियाँ रेशमी और ऊनी वस्त्रों को बुनने का काम करती थी। कृषकों की नारियाँ खेतों पर कार्य करती थी। खेती के बाद सबसे प्रमुख व्यवसाय कपड़ा बनाना था। कपास, सन, ऊन, रेशम तथा अनेक प्रकार के रेशों से कपड़े बनाये जाते थे। इस युग में भी गरीबों और असमर्थ लोगों को रोजी देने का साधन चरखा था।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि विधवा, विकलांग कन्या, प्रपाजिता, राज्य दण्डिता, वेश्याओं की वृद्ध माता, वृद्ध राजदासों, मंदिर के काम से छूटी हुई देवदासी तथा इसी प्रकार की असमर्थ नारियों से सूत कातने का काम लिया जाता था। बढ़िया, घटिया या मध्यम सूत की जाँच करने के पश्चात उसका मूल्य दिया जाता था और तैयार किया हुआ सूत बुनकारों को दिया जाता था। जिससे बुनकर वस्त्र तैयार करते थे।[10]

मध्यकाल में स्त्रीधन पर पत्नी का पूर्ण अधिकार था। इस पर पत्नी के पूर्ण प्रभुत्व की घोषणा मध्ययुग में कात्यायन ने की थी। पति से, मित्र अन्य संबंधियों द्वारा प्राप्त धन पर स्त्रियों की स्वतंत्रता वांछनीय है। क्योंकि यह उन्हें निर्वाहार्थ अनुकम्पा की दृष्टि से दिया गया है ताकि उन्हें धनाभाव में कष्ट न उठाना पड़े वे इच्छानुसार इस संपत्ति का दान और विक्रय भी कर सकती हैं। पति इस विषय में न तो उसका नियंत्रण कर सकता है और न इस संपत्ति का स्वयं उपभोग कर सकता है। इस प्रकार मुगल युग में चल व अचल संपत्ति पर पत्नी का अधिकार था।

मध्यकाल में आर्थिक दृष्टिकोण से मुस्लिम वर्ग की नारी की स्थिति भी कुछ ठीक थी। उच्च वर्ग की मुस्लिम नारी की आर्थिक स्थिति निम्न वर्ग की नारी की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। निम्न वर्ग की मुस्लिम नारी अपने पति के साथ खेतों में काम किया करती थी। लघु–उद्योगों में भी मुस्लिम नारी अपने पति के साथ काम किया करती थी। अकबर ने नारी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये प्रतिमास साधारण बाजार के तीसरे दिन किले में जनाना बाजार का नियम बनवाया था। जनाना बाजार में नारियाँ ही बैठती थी। जहाँ पुरूषों का प्रवेश वर्जित था। सभी सामान भी प्रायः जनाना ही रखा जाता था। अमीर व रईसों की नारियों को भी आज्ञा थी कि जो चाहें सो आवें और तमाशा देखें मालियों के स्थान पर मालिनें बाग आदि सजाती थीं इसका नाम खुरारोज रखा गया था। [11] स्वयं अकबर भी इस बाजार में आता था और अपनी प्रजा की बहू बेटियों को देखकर बहुत प्रसन्न होता था।

जिस प्रकार हिन्दू समाज में नारी को पिता व पति की संपत्ति पर अधिकार था उस प्रकार से मुस्लिम नारी को पिता व पति की संपत्ति पर अधिकार न था। [12] मध्यकाल में मुस्लिम नारी की स्वतंत्ररूप से आजीविका उपार्जन का कोई साधन न था। विवाह ही उसके सुखमय जीवन का एक मात्र साधन था। विवाह करके वे आर्थिक दृष्टिकोण से पति पर अवलम्बित होती थी। मुस्लिम नारी को संपत्ति के रूप में जो मिलता वह 'महर' अर्थात वधू मूल्य वर पक्ष द्वारा चुका दिया गया कहलाता था। मुस्लिम विवाह तब तक वैध नहीं माना जाता था जब तक लड़के पक्ष से विवाह समझौते के प्रतिफल के रूप 'महर' लड़की को भेंट न किया जाये या भेट देने का वचन न दिया जाये। पत्नी को कानून द्वारा महर प्राप्त करने का अधिकार है। परन्तु रकम कितनी होनी चाहिये यह निश्चित नहीं है। 'महर' विवाह के समय निश्चित हो जाता था और विवाह विच्छेद के समय पति द्वारा पत्नी को देना पड़ता था। मध्यकाल में मुस्लिम नारियों की यहीं एक मात्र संपत्ति है जिस पर नारी का अधिकार होता था। इस प्रकार हिन्दू समाज की भाँति मुस्लिम समाज में भी नारी की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। यह सच है कि सांपत्तिक अधिकारों के संबंध में मुस्लिम नारी कभी पुरूष से कम नहीं है वह अपनी संपत्ति का किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकती थी, फिर भी मध्यकाल में नारी कों आर्थिक क्षेत्र में उतनी स्वतंत्रता नहीं थी जितनी पुरूष को थी। वे स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन नहीं कर सकती थी।

संपत्ति संबंधी अधिकार

नारद कात्यायान तथा बृहस्पति पुत्र के अभाव में पुत्रीं को दायाद मानते हैं।[13] याज्ञवल्क्य तथा विष्णु ने पुत्र न होने पर विधवा को संपत्ति का अधिकारी माना है।[14] लक्ष्मीधर तथा जीमूतवाहन ने भी निःसंतान विधवा को अपने पति की संपत्ति पाने का समर्थन किया है।[15] विधवा के संपत्ति संबंधी अधिकार में वृद्धि के संकेत अन्य समकालीन साक्ष्यों से मिलते हैं।

अल्बेरूनी के अनुसार यदि मृत व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी होता था तो उसे विधवा को भोजन वस्त्र देना पड़ता था।[16] लेखपद्धति ने संपत्ति में विधवा के एक भाग का समर्थन किया है।[17] गुप्तोत्तर काल के बाद से पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकारों में कुछ वृद्धि के संकेत प्राप्त होते हैं।

स्त्री धन

स्त्री धन विवाह के समय कन्या को दिए जाने वाले उपहार, वस्त्र–आभूषण तथा अन्य सामग्री (पारिणाह्य) को कहा जाता था।[18] सर्वप्रथम गौतम ने स्त्री धन शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं किया है।[19] कौटिल्य वृत्ति (आजीविका), वस्त्र, आभूषण को स्त्री धन कहते हैं। आजीविका 2000 पण से अधिक नहीं होनी चाहिए।[20] स्त्री धन की पूर्ण स्वामिनी स्त्री होती थी।[21] मनु के अनुसार स्त्री धन छह प्रकार का होता है–

अर्ध्यान्गन : विवाह के समय अग्नि के सम्मुख दिया गया धन।[22]

अध्यावाहनिक : पति के घर जाते समय दिया गया धन।

प्रीतिदत्तः प्रीति कर्म में दिया हुआ धन, भाई द्वारा दिया गया धन, माता द्वारा दिया गया धन, पिता द्वारा दिय गया धन। इसके अतिरिक्त दो अन्य प्रकार के स्त्री धन अन्वाध्येय अर्थात विवाह के बाद मिली भेंट।

मनुस्मृति 9/144ः सातवीं शताब्दी से स्त्री धन का क्षेत्र अधिक विस्तृत हुआ। देवल ने निर्बाह के लिये प्राप्त धन व लाभ को भी स्त्री धन में सम्मिलित किया है। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवलक्य के आधिवेदनिकादेयम् व स्त्री धनम् परिकीर्तित में आदि शब्द के आधार पर स्त्री धन की विवेचना की है। मिताक्षरां में उत्तराधिकारी (रिक्थक्रम), बंटवारा (सांविभाग), जबर्दस्ती अधिकार (परिग्रह) और उपलब्धि (अधिगम) से प्राप्त संमत्ति सूचित होती है।[23] अधिकतर टीकाकार विज्ञानेश्वर की भावना से सहमत थे। सभी ने स्त्रियों के प्रति उदारता दर्शाई है। जीमृतवाहन उस संपत्ति को स्त्रीधन मानते हैं जिसका उपयोग तथा विक्रय पत्नी पति से स्वतंत्र रहकर कर सकती थी।[24] स्त्री धन को धर्मशास्त्रकारों ने निम्न भागों में विभाजित किया है।

सौदायिकः पिता माता व पति द्वारा प्रदत्त ऐसी संपत्ति जिस पर स्त्री का संपूर्ण अधिकार हो।

औसादायिकः अन्यों द्वारा प्रदत्त वह धन था, जिसका स्त्री उपयोग कर सकती थी। किन्तु विनियोग नहीं कर सकती थी। सौदायिक संपत्ति का विनियोग कर सकती थी।[25] देवल के अनुसार यदि पति स्त्री धन खर्च करे तो उसे ब्याज सहित वापस करना चाहिये।[26] आपातकाल में पति द्वारा किये गये स्त्री धन को लौटाना अनिवार्य नहीं है। पति ने स्त्री धन का उपयोग करते समय यदि लौटाने का वचन दिया हो तो उसे अवश्य लौटाना चाहिए।[27]

विवेच्य काल में भूमिदान की बढ़ती प्रवृत्ति से भी स्त्री धन में अचल संपत्ति सम्मिलित हुई होगी। दहेज के रूप में भी स्त्री धन के रूप में अचल संपत्ति प्राप्त हुई होगी। संभवतः अचल संपत्ति को संभालने के लिये पुत्रों को भी स्त्री धन पर अधिकार दिया गया होगा। पूर्व मध्यकाल के उत्तरार्ध तक स्त्री धन का दायरा व्यापक प्रतीत होने लगता है।

पूर्व मध्य काल में कृषि व्यवस्था के विकास तथा विस्तार ने कृषि कार्य तथा उससे संबंधित व्यवसाय में नारी को नियोजित होने का अवसर दिया। अभिलेखों ने कृषक, क्षेत्रकर, कुटुंबी, आर्थिक हालिक आदि शब्द मिलते हैं।[28] कर्मकार दो प्रकार के होते थे–1 प्रथम वे कर्मकार जो वेतन पाते थे, 2 द्वितीय वे जो वृत्ति पाते थे। इस अवस्था में नारी भी काम करती रही होगी। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत भी नारी को विभिन्न व्यवसायों में सम्मिलित होने की संभावना रही होगी।[29] राजमहलों में नियुक्त होने वाली महिलायें चमर झलने, पान लेने देन, पहरेदारी, नाचने–गाने, राजरानियों की दूती तथा उनके श्रृंगार का कार्य करने में प्रवीण होती थीं।[30] कल्हण ने उल्लेख किया है कि स्त्रियाँ घर में रहकर विभिन्न घरेलू तथा पारिवारिक कार्य करती थीं।[31] स्त्रियाँ सूत कातकर, कपड़े बुनकर या अन्य व्यवायिक कलाओं द्वारा धन कमाकर अपने पतियों की मदद करती थीं।[32] राजा दामोदर गुप्त की गर्भवती विधवा रानी यशोमति का राज्याभिषेक यादव श्रेष्ठ ने किया था। शंकर वर्मन की मृत्यु के पश्चात् प्रजा के अनुरोध पर उनकी पत्नी सुगंधा देवी ने सत्ता ग्रहण कर तंत्रियों तथा पदातियों में मैत्री स्थापित कर दो वर्ष तक शासन किया था।[33]

भारत के नाट्यशास्त्र, विशखिल के कलाशास्त्र, संगीत वाद्यशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, सिलाई, कढ़ाई, जादूगरी पाकशास्त्र में वेश्यायें पारंगत होती थीं। इनकी शारीरिक सुंदरता, आभूषण, नृत्य, संगीत तथा बृद्धिमता से आकर्षित होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाति के लोग उपहार साहित खड़े रहते थे।[34] वेश्यायें आकर्षित करने के लिये विविध रूप तथा व्यवसाय करती थीं। क्षेमेंद्र के समय मातृका की नायिका कंकाली वणिक पुत्रों, पुजारी (प्रसाद पाल) डामर, अश्वारोही, लेखक (द्विवर) तथा राज्य कारागर रक्षक को आकर्षित करने के लिए बौद्ध, भिक्षुणी मंत्री के घर सेविका गड़ेरिये की पत्नी, फूलमाला की विक्रेता, तक्षक उत्सव के समय मदिरा विक्रेता, एक भारवाहक की पत्नी अंत में जंगली नशीले पुष्पों का प्रयोग द्वारा रक्षकों (द्रग रक्षक) पर करके वह कश्मीर की सीमा पर कर जाती है। वेश्यायें विविध वर्ग के मनोभावों को समझती थी और उनके अनुरूप आचरण करके उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। गणिकाएँ कामशास्त्र के लिए निर्धारित 64 कलाओं से परिपूर्ण होती थीं।[35] क्षेमेंद्र ने वेश्याओं के प्रेम को दिखावटी बताया है। उनके अनुसार ये स्त्रियाँ अपने प्रेमियों के शव पर मरने का नाटक करती हैं। वस्तुतः इनमें कोई प्रेम नहीं होता है।[36]

मंदिरों में नृत्य गायन के द्वारा देवता की सेवा के लिय आजीवन समर्पित स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था।[37] अबूजैद अलहसन (नवीं शताब्दी) नामक अरब लेखन ने देवदासियों को मूर्ति की स्त्रियाँ कहा है।[38] इनके अनुसार जब किसी स्त्री को संतान नहीं होती थी तो वह प्रतिज्ञा करता था कि सुंदर कन्या होने पर वह उसे मंदिर को दे देगा। कन्या होने पर स्त्री उसे पूजा पाठ के बाद मंदिर में छोड़ जाती थी। बड़ी होने पर वह मंदिर में कमरा लेती थी। ये देवदासियाँ निश्चित पैसा लेकर वेश्यित कर्म करती थीं। इन्हें जो आय होती थी वह मंदिर के पुजारी को मिल जाती थी जिससे मंदिर का खर्च चलता था।[39] 985 ई0 में भारत आये यात्री मुकद्दसी ने भी सिंध के मंदिरों में देवदासी रखे जाने का उल्लेख किया है।[40]

कश्मीर में राजा जालौक ने अपने अंतःपुर की 100 स्त्रियों को, जो नृत्य गायन में कुशल थीं, भगवान जेष्ठेश की पूजा के समय नृत्य के लिये नियुक्त किया था।[41] राजा दुर्लभक प्रतापादित्य द्वितीय नोणसेठ की पत्नी नरेंद्रप्रभा पर आकर्षित था, किंतु उसे स्वीकार करना अनैतिक मानता था। जब उसे मंदिर सौंप दिया गया तब राजा ने उसे स्वीकार किया।[42] अधीत काल में देवदासियों की संख्या में वृद्धि, भोग तथा विलास की प्रवृत्ति का द्योतक है। खजुराहो तथा उड़ीसा के मंदिरों में बाह्मभित्ति पर कामोद्दीपक दृश्यों के अलंकरण मिलते हैं।

स्वतंत्रता के बाद नारियों में शिक्षा के सुधार के साथ–साथ उनमें आत्मनिर्भरता की भावना भी आती जा रही है। अब वे पहले के समान पूर्णतया पुरुषों पर आश्रित नहीं है। आज सभी क्षेत्रों में स्वयं जीविका उपार्जित करने वाली नारियों की संख्या बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा, उद्योग व्यावसाय तथा सरकारी सेवाओं में उनकी दिन–प्रतिदिन संख्या बढ़ती जस रही है। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ने नारियों के विचारों को भी पर्याप्त स्वतंत्र कर दिया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा नारियों को पिता की संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया गया है।[43] इसके पूर्व नारी के पास दो प्रकार की संपत्ति हो सकती थी।

स्वतंत्रता के पश्चात कई अधिनियम पारित किए गए। अधिनियम पारित किये जाने से पूर्व हिंदू नारी के अधिकार बहुत सीमित थे। कोई पुरुष उत्तराधिकार से संपत्ति प्राप्त करके पूर्ण स्वामी होता था जबकि नारियाँ सीमित स्वामी हुआ करती थीं। पूरे देश में नारी के संपत्ति संबंधी अधिकारों के प्रश्न को लेकर एकरूपता नही थी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को कानून में एकरूपता लाने तथा नारियों को पुरुषों के बराबर संपत्ति संबंधी अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया। इस संबंध में अधिनियम की धारा 14 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह धारा स्त्री धन और नारी संपदा को समाप्त कर नारियों के कब्जें में रहने वाली समस्त संपत्ति पर उनको स्वामित्व प्रदान करती है।

भारत में हिंदू मान्यताओं के अन्तर्गत विवाह जन्म–जन्मान्तर का बंधन है। जिसे सहजता से तोड़ा नहीं जा सकता यह मूल रूप से हमारी मान्यता का अंग है और यह मान्यता 1947 तक अपने मूलस्वरूप में विद्यमान थी। पत्नी का समस्त श्रृंगार तथा जीवन के पति के लिए ही था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955[44] के पूर्व हिंदू विवाह की जो शर्ते थीं वह 1947 की स्थितियों को स्पष्ट करती हैं। इन शर्तों में–

- दोनों पक्षों का हिंदू होना आवश्यक था।[45]
- विभिन्न न्यायालयों द्वारा अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह अमान्य थे।[46]
- वह वधु को भिन्न गोत्र एवं प्रवर का होना आवश्यक था। किन्तु 1946 में केन्द्रीय अधिनियम पारित करके यह उपबंध किया गया कि कोई विवाह इसीलिये अवैध नहीं होगा कि विवाह के पक्षकार समान गोत्र, प्रवर या वर्ण वाले हैं।[47]
- हिंदू पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता था किन्तु स्त्री मात्र एक पति से विवाह कर सकती है।
- विवाह के पक्षकारों को सपिण्ड सिद्धान्त के अंतर्गत संबंधित होना आवश्यक था।

हिंदू विवाह के लिये सामान्यतः आयु का निर्धारण नहीं था।[48] पुरुषों का विवाह लगभग 25 वर्ष की अवस्था में किये जाने संकेत मिलते थे। जबकि कन्या का विवाह 8–12 वर्ष में करना पुण्य कर्म करना माना जाता था। हिंदू विवाह चूंकि धार्मिक कृत्य था अतः शारीरिक रूप से अक्षम पुरुष भी विवाह कर सकते थे।

किन्तु आधुनिक युग में ऐसे व्यक्तियों के साथ विवाह प्रभावहीन माना गया है।[49] मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के साथ भी विवाह होते थे। जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। किन्तु प्रिवी कौंसिल ने मत व्यक्त किया कि गंभीर कोटि के मानसिक अक्षमता होने पर विवाह अविधिमान्य होगा।[50]
इन सामाजिक मान्यताओं और स्थितियों के विपरीत समाज में नारी को लेकर चल रहे चिंतन ने भी इसी काल में अपने लिये वैचारिक धरातल तलाशना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप भी आंदोलनों को लेकर दो धाराऐं स्पष्टरूप से परिलक्षित लगी।

- परंपरागत
- सामंती विचारधारायें
- आधुनिक समाजवादी विचारधारा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हिंदू विधि में व्यापक परिवर्तन किये गये। इन परिवर्तनों में प्रमुख था ''हिंदू विवाह अधिनियम 1955'' इस अधिनियम को पूर्व प्रचलित विवाह विधि में संशोधन करने एवं उसे संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। संसद कहती है (अ) यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जावेगा (ब) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर है। यह अधिनियम राज्य क्षेत्र के भीतर लागू होने के साथ राज्य क्षेत्रातीत प्रभाव रखता है। इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन विवाह की आयु से संबंधित है।
बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 (1938 में संशोधित) द्वारा बाल विवाह की कुप्रथा पर प्रबिंध लगाने के उद्देश्य से वर के लिये विवाह की आयु 18 वर्ष तथा वधु के लिये 15 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिनियम द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि ''विवाह के समय वर ने 18 वर्ष और वधु ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।'' यह इस शर्त का उल्लंघन करने पर विवाह वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपितु यह एक अपराध है।[51] इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ हिंदू विवाह में अनेक परिवर्तन किये गये।
स्वतंत्रता के बाद में विवाह के क्षेत्र में नारियों को संविधान ने सभी प्रकार के अधिकार दे रखें हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा नारियाँ अब किसी भी जाति के पुरुष से विवाह कर सकती हैं। शारदा एक्ट में बाल विवाह पर पहले ही रोंक लगा दी है। अब नारियाँ पुर्नविवाह कर सकती हैं। तथा आवश्यकता पड़ने पर तलाक भी प्राप्त कर सकती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में नारियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं–

- 1948–फैक्ट्री अधिनियम एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम ।
- 1954 के विशेष विवाह अधिनियम।
- 1955 के पुर्नविवाह अधिनियम।
- 1956 में पारित हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम।
- 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा उसे संपत्ति संबंधी अधिकार दिया गया।
- 1972 के चिकित्सा गर्भ–समापन अधिनियम के द्वारा नारी को सामाजिक अधिकार प्रदान किय गये।
- 1976 के द्वारा नारी को आर्थिक अधिकारों के साथ ही सम्मान व सुरक्षा प्रदान की गई।
- 1977 के भारत सरकार अधिनियम में शैक्षिक योग्यता के आधार पर नारी को मताधिकार प्रदान किया गया। परन्तु कालांतर में शिक्षित अशिक्षित सभी नारियों को मताधिकार का समान अधिकार प्रदान किया गया। नारी आज मताधिकार के क्षेत्र में ही नहीं वरन लोकसभा व विधानसभा के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होकर राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है।

परन्तु यह सत्य है कि कानून द्वारा नारियों को पर्याप्त सुरक्षा मिल गई है। लेकिन यथार्थ में उनकी स्थिति मे कोई विशेष क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आये हैं। केवल कुछ शिक्षित नारियाँ ही स्वतंत्रता और अपने अधिकारों का उपभोग कर पाती हैं। गांवों की और नगर की निरक्षर तलाक तथा पुर्नविवाह की बात तक नहीं सोच पाती। लेकिन यह सच है कि आज बहुपत्नी की स्थिति में अवश्य क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वर्तमान में एक से अधिक नारियाँ रखने की बात बहुत कम ही सुनने में आती है।
कानून यह हक देता है कि महिला अपने लिए अपने नाम से सम्पत्ति खरीद सके। आदमियों की तरह ही, औरतों को भी सम्पत्ति का मालिक होने का हक है। सरकार ने कानून बनाए हैं, जो इस प्रकार हैं–

- हर औरत अपने लिए, अपने नाम से सम्पत्ति खरीद सकती है या रख सकती है।
- कोई औरत अपनी सम्पत्ति का जो चाहे कर सकती है चाहे वह उसे मिली हो या उसकी कमाई की हो।
- हर औरत को यह हक है कि अपनी कमाई के पैसे वह खुद ले। वह उन पैसों से जो भी करना चाहे कर सकती है।
- औरतों को भी यह अधिकार है कि आदमियों की तरह वे भी सम्पत्ति खरीदें या बेचें। औरतों को अपने माता–पिता या दूसरे रिश्तेदारों की सम्पत्ति का हिस्सा भी मिल सकता है। उनको किससे और कितना हिस्सा मिल सकता है, यह उनके निजी कानून पर निर्भर करता है। निजी कानून का मतलब है वह कानून जो किसी धर्म के मुताबिक होता है।

हिन्दू स्त्रियों के सम्पत्ति संबंधी अधिकार

- हिन्दू औरत को सम्पत्ति का अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार मिलेगा।
- किसी भी पुरुष को अपने पुरुष पूर्वजों से मिली सम्पत्ति खानदानी सम्पत्ति कहलाती है।
- खानदानी सम्पत्ति पर बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता।
- लड़कियों को खानदानी सम्पत्ति में से खर्चा पाने का हक है।
- कोई हिन्दू पुरुष पुश्तैनी जायदाद के अपने हिस्से की बसीयत लिख सकता है। वह यह तय कर सकता है कि उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका हिस्सा किसे दिया जाए।
- लेकिन वसीयत न लिखी हो तो उसकी पुश्तैनी जायदाद के अपने हिस्से में उसकी पत्नी, माँ–बेटियों, बेटों, विधवा बहुओं और गुजरे हुए लड़के–लड़कियों के बच्चों का बराबर हक होता है।
- इस प्रकार उसकी अपनी कमाई की जायदाद में भी उसकी पत्नी, माँ, बेटियों और बेटों का बराबर का हक होता है।
- महिला का हिस्सा उसका अपना है और वह उसका जो चाहे कर सकती है।
- वर्ष 1956 के पहले के कानून में हिन्दू स्त्रियों को ऐसी सम्पत्ति का पूरा अधिकार नहीं था। उन्हें सिर्फ उनके जिन्दा रहने तक सम्पत्ति को इस्तेमाल करने का हक था। परन्तु 1956 के पश्चात् औरतों का सम्पत्ति पर पूरा हक है।
- कोई औरत चाहे तो इसे बेच सकती है, चाहे तो किसी को दे सकती है या वसीयत में किसी के नाम छोड़ सकता है।

निष्कर्ष

केरल सरकार के द्वारा केरल संयुक्त परिवार व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनिम, 1976 को लागू कर पुराने संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस कानून के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों को पारिवारिक सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 जो कि

पारसियों पर लागू होूता है, में दो संसोधन क्रमशः 1939 एवं 1991 में हुए। पहले संशोधन के द्वारा बेटियों को पिता की सम्पत्ति में पुत्रों तथा माँ के हिस्से का आधा मिलता था। 1991 में संशोधन के पश्चात् विधवा, पुत्रों और पुत्रियों के हिस्से बराबर हो गए। हिन्दू उत्तराधिकार कानून को चार राज्यों में संशोधित कर अविवाहित पुत्रियों को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के बराबर का हिस्सेदार बनाया गया है। ये राज्य हैं– आन्ध्र प्रदेश (1968), तमिलनाडु (1986), महाराष्ट्र (1994) और कर्नाटक (1994)। ये परिवर्तन कहाँ तक नारियों को वास्तविक रूप से उनके अधिकार दिला पाएँगे, यह देखा जाना प्रतीक्षित है।

संदर्भ

1. आईन–ए–अकबरी–अबुल फजल 36 कारखानों का उल्लेख करता है
2. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव–मध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास, पृ 48
3. डी.सी. भारद्वज–मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ 53
4. क्मसमसं अंससम ;म्कूंतक ळतमलद्ध ण्च्ण 82.83
5. मिश्रा, अर्चना 2015 – भारतीय नारी का राजनैतिक स्वत्व और महिला आरक्षण, विन्ध्य भारती (शोध पत्रिका, अ.प्र.सिं.वि.वि. रीवा, 12;प्टद्ध पृ. 98–103.
6. मिश्रा, अर्चना 2015 – नारी के सामाजिक स्थिति का पुनरावलोकन, विन्ध्य भारती (शोध पत्रिका, अ.प्र.सिं.वि.वि. रीवा, 12;प्प्द्ध पृ. 105–111.
7. मिश्रा, अर्चना 2016 – मध्यकालीन भारत में परम्पराओं में बंधी नारी : प्रादुर्भाव एवं विकास का अध्ययन, प्दजमतदंजपवदंस श्रवनतदंस व ि।कअंदबमक त्मेमंतबी ंदक क्मअमसवचउमदजए प्ैैछ रू 2455.4030ए टवसण 1 प्ेेनमे 6ए चचण 21.24ण
8. मिश्रा, अर्चना 2016 – सती प्रथा एवं जौहर परम्पराओं में झुलसती नारी, प्दजमतदंजपवदंस श्रवनतदंस व िडनसजपकपेबपचसपदंतल म्कनबंजपवद ंदक त्मेमंतबीए प्ैैछरू 2455.4588ए टवसण 1 प्ेेनमे 3ए चचण 66.71ण
9. आर्शीवादलाल श्रीवास्तव–मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृष्ठ 50
10. हरिहर प्रसाद द्विवेदी–मध्यकालीन भारत का इतिहास, पृष्ठ 311
11. रामचन्द्र वर्मा– अनुवादक–अकबरी दरबार पृष्ठ 244–46
12. आर्शीवादीलाल श्रीवास्तव–मध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास, पृष्ठ 50।
13. नारद स्मृति, 13 / 50, कात्यायन मिताक्षरा, 2 / 163
14. याज्ञवल्क्य स्मृति 1 / 135, 136, विष्णुस्मृति 17 / 43
15. कृत्यकल्पतरू, दायभाग, खण्ड द्वितीय, हिस्ट्री आफ बंगाल, भाग–एक, पृष्ठ 610।
16. सखाऊ, अलबेरूनीज इंडिया भाग दो, पृष्ठ 146।
17. लेखपद्धति, पृष्ठ 47–49।
18. ऋग्वेद, 10 / 85 / 13, अर्थर्ववेद, 14 / 1 / 13
19. गौतम, धर्मशास्त्र 28 / 25
20. अर्थशास्त्र, 3 / 1।
21. बौधायन, धर्मूसूत्र दो / दो / चौवालिस।
22. मनुस्मृति, 9 / 197
23. मिताक्षरा, 2 / 143
24. जीमूतवाहनकृत दायभाग, पृष्ठ 76
25. स्मृतिचंद्रिका, 2 / 282
26. देवल, पृष्ठ 98
27. स्मृति चंद्रिका, व्यवहार खण्ड, पृष्ठ 659
28. वी.एन.एस. यादव, इंडियन हिस्टारिकल रिव्यू, जिल्द तीन नं. 1 पृ. 47, फोगेल एक्टीक्वीटीज आफ चंबा स्टेट, पृ. 167
29. बराहमिहिर के होराशास्त्र, 18 / 9 पर रुद्र की टीका
30. प्राचीन भारतीय संस्कृति, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा 3, 1970, पृ 760
31. राजतरंगिणी, टप्प्ए 2001 प्टए 270.271ए 381
32. एपीग्रैफिका इंडिका, ग्टप्प् पृष्ठ 109, ट22
33. राजतरंगिणी, 1ए70.73एट243ए249।
34. कुट्टीनीमतम् दामोदर गुप्तकृत, अनुवादक तनसुख राम, मनसुख्या रामत्रिपाठी, बनारस 1924
35. समय मातृका, क्षेमेंद्र प्प्ए प्टए 3.11 ट
36. कला विलास, प्ट.19ए ग्प्23ए देशोपदेश, पूना, 1923, प्प्ए समयामृतका प् 32
37. मेघदूत, श्लोक 35–36
38. एंश्येट एकाउन्ट्स आफ इंडिया एंड चाइना, पृ 88
39. एंश्येट एकाउन्ट्स आफ इंडिया एंड चाइना, पृ 88–89.
40. अहसुनत तरसिम, पृ 483
41. राजतरंगिणी, 1 149–152
42. राजतरंगिणी, प्ट 36
43. हिंदू विधि, धारा–14 के अन्तर्गत
44. 1955 हिंदू विवाह अधिनियम के पश्चात् वैवाहिक संस्कार में अनेक अवैधानिक परिवर्तन किये गये
45. हिंदू विधि, पृ. 25
46. मिश्रा, अर्चना 2016 – भारत की परम्पराओं : घूंघट आदि विविध सामाजिक परम्पराओं से ग्रस्त नारी, शिक्षा कलश, शोत्र पत्रिका सुल्तानपुर (उ.प्र.), पृ. 41–50. त्छप् न्व्ट्स4६2009६28555 प्ैछ.0975.2579
47. मिश्रा, अर्चना 2016 – भारत की परम्पराओं रू नारी के सामाजिक स्थिति का पुनरावलोकन, प्दजमतदंजपवदंस श्रवनतदंस व िभ्नउंदपजपमे ंदक ैवबपंस ैबपमदबम त्मेमंतबीए टवसनउम 2य प्ेेनम 8य च्हम छवण 30.36ण
48. बाल विवाह अधिनियम 1929 जो राज्य हरविलास शारदा बहादुर द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तावित किया गया था शारदा एक्ट कहलाता है
49. जैन अरविंद, औरत होने की सजा, पृ. 49, पृ. 36
50. जैन अरविंद, औरत होने की सजा, पृ. 49
51. धारा 18 द्वारा इस अपराध के लिए 15 दिन के असाधारण कारावास या एक हजार जुर्माना से दंडित किया जा सकता ह